

18/8 वकूलाय उपस्थित।
श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक
कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा
दिनांक... 25/11/19 को पेश हो।
C.A. 18/8

25/3 वकूलाय उप. पत्रावली का इंतजार देकर पत्रावली
दिनांक 29/4/19 को पेश हो।
कलक्टर, नागौर

29/4 वकूलाय उपस्थित।
श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक
कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा
दिनांक... 30/5/19 को पेश हो।
C.A. 29/4

30/5 वकूलाय उपस्थित।
श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक
कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा
दिनांक... 4/7/19 को पेश हो।
C.A. 30/5

4/7 वकूलाय उपस्थित।
श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक
कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा
दिनांक... 8/8/19 को पेश हो।
C.A. 4/7

8/8/19 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा
मुकदमा नम्बर 90बी-18/07. श्यामसुन्दर बनाम नगरपालिका
नागौर के क्रम में इस प्रकरण की मूल निगरानी पत्रावली संख्या
330/2004 तहसीलदार नागौर बनाम श्यामसुन्दर वगैरह में इस
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.04.2007 के
सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 1665 दिनांक
18.08.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को
भिजवाई हुई है और यह स्थगन पत्रावली उक्त मूल पत्रावली
संख्या 330/2004 के इन्तजार में इस न्यायालय में विचाराधीन
है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना
क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डी.एल.बी./15/5843-6274 दिनांक
10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009
की धारा 73(2) के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से
संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान्
संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण
में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय,
अजमेर को होने से मूल पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय
को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यह स्थगन पत्रावली भी
श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावें।
पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर